राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या...........1625 / 2015................................. जिला ....जयपुर...

उनवान : मैसर्स विरासत ज्वैल्स प्रा0 लि0, सी–स्कीम, जयपुर

बनाम

(1) अपीलीय प्राधिकारी–द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर

(2) सहायक आयुक्त, वृत–एन, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

खण्डपीठ
श्री मदन लाल, सदस्य
श्री मनोहर पुरी, सदस्य

10 / 11 / 2015 अपीलार्थी द्वारा यह अपील मय स्थगन प्रार्थना–पत्र अपीलीय प्राधिकारी–द्वितीय, वाणिज्यिक कर जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के स्थगन प्रार्थना–पत्र संख्या अ.प्रा.–II / स्थगन / अ.सं. 298 / 15–16 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 11.09.2015 के विरूद्ध वेट अधिनियम की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक आयुक्त, वृत–एन, जयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) के वेट अधिनियम की धारा 24 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 05.06.2015 से सृजित मांग राशि की वसूली पर स्थगन आदेश जारी किये जाने से इन्कार किया है।

अपीलार्थी के स्थगन प्रार्थना–पत्र के सम्बन्ध में विद्वान अभिभाषक श्री अलकेश शर्मा द्वारा बहस के दौरान कथन किया गया कि अपीलार्थी द्वारा कम्पोजिशन स्कीम का विकल्प ले रखा था। कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बगैर तथा किसी कारण के अपीलार्थी को कम्पोजिशन स्कीम से बाहर करते हुए, 1 प्रतिशत की दर से कर व तदनुसार ब्याज का आरोपण किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने भी प्रकरण के तथ्यों पर विचार किये बिना एवं बिना कोई कारण अंकित अपीलार्थी का स्थगन प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 38(4) अस्वीकार किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने अपीलार्थी का स्थगन प्रार्थना–पत्र स्वीकार करते हुए प्रकरण में बकाया मांग राशि रूपये 13,27,121 / – की वसूली पर स्थगन आदेश जारी किये जाने का निवेदन किया।

राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा कम्पोजिशन स्कीम की शर्तों की अवहेलना करते हुए कम्पोजिशन राशि जमा नहीं करवाये जाने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विधि अनुसार अपीलार्थी को कम्पोजिशन स्कीम से

लगातार..........2

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या...........1625/2015................................ जिला ....जयपुर..

उनवान : मैसर्स विरासत ज्वैल्स प्रा0 लि0, सी–स्कीम, जयपुर

बनाम

(1) अपीलीय प्राधिकारी–द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर

(2) सहायक आयुक्त, वृत–एन, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज –: 2 :–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10/11/2015	बाहर करते हुए, नियमानुसार कर व ब्याज का आरोपण किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी का स्थगन प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किये जाने पर बल दिया। उभय पक्ष की बहस पर मनन करने तथा उपलब्ध तथ्यों का अवलोकन करने के पश्चात प्रथम दृष्टया प्रकरण में सुविधा संतुलन (Balance of convenience) अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः **प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना**, प्रकरण में बकाया शेष राशि रूपये **13,27,121/–** की वसूली पर इस शर्त पर रोक स्वीकार की जाती है कि अपीलार्थी इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में कर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप, उनके समक्ष पर्याप्त जमानत (adequate security) प्रस्तुत करेंगे। अपीलीय अधिकारी को भी निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश प्राप्ति के 3 माह में अपील का गुणावगुण के आधार पर निष्पादन करें। निर्णय सुनाया गया। 10.11.2015 — **सदस्य, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर** 10.11.2015 — **सदस्य, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर**	